



# कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून

Email : ccfadmin-forest-uk@nic.in Ph.No. 0135 - 2741461, Fax - 27414662

संख्या : ~~क-827~~ / 8-1(3) देहरादून, दिनांक : 01 अक्टूबर, 2017  
नवम्बर

## स्थायी आदेश

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 819/X-2-2012-21(13)2011 दिनांक 18.05.2012 से जारी उत्तराखण्ड इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली, 2012 के नियम 6(2) में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत वन उपज का अभिवहन पास का रंग और आकार का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है :-

प्रथम पृष्ठ (प्रतिपत्र)	द्वितीय पृष्ठ (अभिवहनकर्ता प्रति)	तृतीय पृष्ठ (प्रथम निकासी चौकी प्रति)	अभिवहन पास का आकार (लम्बाई X चौड़ाई)
सफेद (मोटाई 50 gsm)	हल्का हरा (मोटाई 75 gsm) (वन विभाग का लोगो का वाटर मार्क युक्त)	हल्का नारंगी (मोटाई 50 gsm)	25 से०मी० X 20से०मी०

वन विभाग के लोगो तथा अभिवहन पास का रंग का नमूना [www.forest.uk.gov.in](http://www.forest.uk.gov.in) से डाऊनलोड किया जा सकता है।

यह आदेश दिनांक 01.01.2018 से लागू होगा।

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक ~~क-827~~ / 8-1(3) दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
5. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
6. सदस्य-सचिव, जैवविविधता बोर्ड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
9. समस्त वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
12. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित की उपरोक्तानुसार अभिवहन पास/किताब की छपाई समयान्तर्गत करने का कष्ट करें।
13. उप वन संरक्षक, आई.टी.जी.सी., मुख्यालय देहरादून को इस आशय से प्रेषित की यह आदेश तथा वन विभाग का लोगो व अभिवहन पास के रंग का नमूना वन विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
14. गार्ड बुक।

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

श्री हिमांशु कृ० आठ काठ करे।

CCF(IT&C)



